

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं.  
.....40/22 दिनांक..... 9/2/22
2. (I) अधिनियम:- धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018  
(II) अधिनियम ..... धारायें .....  
(III) अधिनियम ..... धारायें .....  
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....(अ)
3. रोजनामचा आम रपट संख्या .....176 समय .....7.45 PM.  
(ब) अपराध घटने का दिन- बुधवार, दिनांक 09.02.2022 समय 11.31 एएम  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय ..... पीएम
4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित
5. घटनास्थल :- कार्यालय उपायुक्त जोन मालवीय नगर, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के सामने मैन रोड पर।  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब उत्तर दिशा करीब 4 किमी  
(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना .....जिला .....
- 6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम- श्री दीपक खंडेलवाल  
(ब) पिता/पति का नाम- श्री कैलाश चंद गुप्ता  
(स) जन्म तिथी- उम्र- 32 वर्ष  
(द) राष्ट्रीयता - भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि  
जारी होने की जगह .....  
(र) व्यवसाय - व्यापार  
(ल) पता- निवासी प्लॉट नं. 432, सवेरा गोविन्दम, एमडी रोड के सामने, जयपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : -  
(1) श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री जयनारायण चौधरी उम्र 25 वर्ष जाति जाट नि. ग्राम लदाना खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल टैक्स कलेक्टर (टीसी) स्पैरो सॉफ्टवेक प्राईवेट लिमिटेड। कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जोन मालवीय नगर, जयपुर। (संविदाकर्मी)
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).  
.....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य- 9,000 रुपये लिप्त सम्पत्ति
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-  
दिनांक 08.02-2022 को परिवादी श्री दीपक खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाशचंद गुप्ता, निवासी प्लॉट नं0 432, स्वेना गोविन्दम अपार्टमेंट एम.डी.रोड जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश करी कि "मेरा नाम दीपक खण्डेलवाल निवासी 432 स्वेना गोविन्दम अपार्टमेंट जयपुर मेरी एक सम्पत्ति S-22 Barkat Nagar मैन मार्केट मे देवकी सुपरमार्टस के नाम से है। मेरे पास कल पंकज चौधरी के नाम से Call आया उन्होने बोला की मै नगर निगम के रूम न0 21 मालवीय नगर ऑफिस मे बैठता हुं आपकी Building का Ud Tax बकाया है या तो आप जमा



करा दो या मुझे Manage कर लो। उसने बताया कि वैसे 4-5 Lac का Tax है अगर आप मिला लोगे तो ले दे कर रफा दफा कर दुंगा एवं रिश्वत की मांग की व मुझे मिलने बुलाया है। तो मुझसे रिश्वत की मांग करेगा जो मैं नहीं देना चाहता हूं कृपया कार्यवाही करने का श्रम करो। यह सम्पत्ति मेरी माताजी के नाम है एवं मैं ही संभालता हूं। एसडी/- दीपक खंडेलवाल पुत्र श्री कैलाशचंद गुप्ता, निवासी प्लॉट नं० 432, स्वेना गोविन्दम अपार्टमेंट एम.डी.रोड जयपुर मो० नं० 9887078757 Date-13/7/2021" परिव्रादी द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत पत्र एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग एवं रिश्वत लेन देन का पाया जाने पर दिनांक 8.02.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो परिव्रादी श्री दीपक खंडेलवाल से आरोपी श्री पंकज चौधरी द्वारा 10,000/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए 9,000/-रु रिश्वत के रूप में लेने पर सहमत हुआ। उक्त रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व सीडी तैयार की गई।

दिनांक 09.02.2022 को परिव्रादी श्री दीपक खंडेलवाल व स्वतंत्र गवाहान उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये जिससे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिव्रादी अपने पास से पांच पांच सौ रुपये के 18 नोट कुल 9,000/- रुपये प्रस्तुत किए हैं। जिन पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिव्रादी के समक्ष श्री सतीश कुमार कानि. नं. 275 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया जाकर मांग के अनुसरण में आरोपी को देने हेतु परिव्रादी श्री दीपक खंडेलवाल को सुपुर्द किए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोलफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात् दिनांक 09.02.2022 को समय 10.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिव्रादी श्री दीपक खंडेलवाल, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप बॉक्स मय सामान सरकारी के सरकारी वाहनों सहित ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर राजस्थान विधानसभा, जयपुर के पास पहुंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 11.31 एएम पर परिव्रादी श्री दीपक खंडेलवाल ने अपनी आंखों पर लगाया हुआ नजर का चश्मा उतारकर व अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर निर्धारित ईशारा किया। ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक ने आसपास खड़े स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ को ईशारा करते हुए व अपने साथ लेते हुये परिव्रादी की कार के पास पहुंचा तो परिव्रादी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। परिव्रादी की कार आरजे 14 सीएक्स 4917 के अंदर परिव्रादी के साथ एक अन्य व्यक्ति आगे की सीट पर बैठा हुआ है। परिव्रादी अपनी कार से बाहर निकलकर कार में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह पंकज चौधरी है जिन्होंने अभी-अभी मुझसे दिनांक 08.02.2022 की मांग के अनुसार 9,000/-रु मुझसे प्राप्त कर अपने हाथ में लेकर पेंट की बांयी जेब में रख लिये हैं। इस पर परिव्रादी के बताये अनुसार परिव्रादी की कार में बैठे हुये व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुये उसे परिव्रादी की कार से बाहर निकालकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पंकज चौधरी पुत्र श्री जयनारायण चौधरी उम्र 25 वर्ष जाति जाट नि. ग्राम लदाना खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल टैक्स कलेक्टर (टीसी) स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्यालय उपायुक्त जोन मालवीय नगर नगर निगम ग्रेटर जयपुर होना बताया तथा पूछने पर बताया कि दीपक खंडेलवाल द्वारा दिये गये रुपये मेरी पेंट की बांयी जेब में रखे हुये हैं। चूंकि घटनास्थल मैन रोड पर होने से यातायात व्यवस्था बाधित ना हो इसलिये कार्यवाही हेतु श्री पंकज चौधरी को हमराह लेकर मय ब्यूरो टीम के अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय उपायुक्त नगर निगम ग्रेटर, जोन मालवीय नगर, जयपुर के कार्यालय में स्थित कमरा नं. 21 जहां पर श्री पंकज चौधरी बैठकर टैक्स से सम्बन्धित कार्य करता है, वहां पर पहुंचे। उक्त कमरे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके बारे में आरोपी श्री पंकज चौधरी ने बताया कि यह हमारे सर्किल मैनेजर श्री कौशल यादव हैं जिस पर उनसे अनुमति लेकर नियमानुसार लिखापढी की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

परिव्रादी श्री दीपक खंडेलवाल से पुनः पूछने पर परिव्रादी ने बताया कि नगर निगम के सामने जाकर मैंने श्री पंकज चौधरी को कॉल किया तो पंकज चौधरी ने कहा मैं बाहर हूं दस मिनट इंतजार करो, इस पर मैं दस मिनट तक नगर निगम कार्यालय के बाहर ही खड़ा होकर इंतजार करने लग गया। करीब दस मिनट बाद पंकज चौधरी आकर मेरी कार में बैठ गये। मैंने पंकज जी को पूछा कि 9,000/-रु देने के बाद भैया मैं फ्री हूं ना तो पंकज जी ने बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पंकज जी ने मुझे बताया



कि मैं आपका दो साल का टैक्स बना दूंगा जिसके लिये आपको हमारे उपर के अधिकारियों को कहना पड़ेगा और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसके बाद पंकज जी के कहने पर मैंने 9,000/-रु मेरी जेब से निकालकर पंकज जी को दिये तो इन्होंने अपने हाथ में लेकर तथा गिनकर अपनी पेंट की बांयी जेब में रख लिये। इसके बाद मैंने आपको ईशारा कर दिया। तत्पश्चात् श्री पंकज चौधरी से परिवादी दीपक खंडेलवाल से ली गई 9,000/-रु की रिश्वत बाबत पूछा तो श्री पंकज चौधरी ने बताया कि आज से दो-तीन दिन पहले बरकत नगर देवकी मार्ट में चार मंजिला जो बिल्डिंग बनी हुई है जिसको मैं चैक करने गया था तो वहां पर श्री दीपक खंडेलवाल जी के छोटे भाई नवीन जी मिले थे जिनसे मैंने कहा था कि आपकी बिल्डिंग का यू.डी. टैक्स बनेगा। इसके बाद दीपक खंडेलवाल ने मुझसे मोबाईल से बातचीत की और दिनांक 08.02.2022 को आकर मुझसे नगर निगम कार्यालय के बाहर आकर मिले थे और इन्होंने मुझसे यूडी टैक्स डिमांड नहीं निकालने और ईनाम के 9,000/-रु देने के लिये कहा था। ईनाम के रूप में मैंने आज 9,000/-रु लिये हैं इस पर पास खड़े परिवादी श्री दीपक खंडेलवाल ने पंकज चौधरी की बातों का खंडन करते हुये बताया कि पंकज चौधरी झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कॉल करके मिलने के लिये कहा था, इस पर मैं दिनांक 08.02.2022 को श्री पंकज चौधरी से मिला था जिस पर पंकज चौधरी ने बताया था कि अगर 9,000/-रु नहीं दोगे तो 2007 से आपकी संपत्ति का आंकलन कर टैक्स निकालेंगे जो 3-4 लाख के लगभग होगा। एक बार डिमांड नोटिस जारी होने के बाद मेरे हाथ में नहीं रहेगा अतः आप 10,000/-रु दे दो तो मैं यह डिमांड नोटिस जारी नहीं होने दूंगा। मेरे निवेदन करने पर 9,000/- रुपये लेने पर सहमत हो गये थे तथा यह भी कहा था कि आप मुझे 9,000/-रु दे दोगे तो जब तक मैं यहां रहूंगा आपका यूडी टैक्स डिमांड नोटिस नहीं निकलेगा जिस पर इनकी मांग के अनुसार 9,000/-रु रिश्वत राशि अभी-अभी कुछ समय पहले मैंने दी है।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर कार्यालय में रखी पानी की बोतल से साफ पानी दोनों गिलासों में डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो हाजरीन ने गिलासों के घोल को देखकर रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात् एक कांच के गिलास के तैयार शुदा घोल में श्री पंकज चौधरी के बांये हाथ की अंगूली व अंगूठे को बारी-बारी से धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

इसी प्रकार दुसरे कांच के गिलास के घोल में श्री पंकज चौधरी के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को नियमानुसार बारी-बारी धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी के बतायेनुसार रिश्वत के रुपये आरोपी पंकज चौधरी के बदन पर पहनी हुई पेंट की बांयी जेब के अंदर से स्वतंत्र गवाह श्री धर्मवीर मीना से निकलवाये गये तो पांच-पांच सौ रुपये के नोट मिले हैं जिन्हें दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो कुल 18 नोट राशि 9,000/-रु मिले हैं जिनका मिलान पूर्व में ब्यूरो कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो हबहू वही नम्बरी नोट होना पाये गये। उक्त नोटों को एक सफेद कागज में रख कर सिल चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

आरोपी श्री पंकज चौधरी ने रिश्वती राशि 9,000/-रु अपने पहने हुये पेंट की बांयी जेब में रखे थे, इसलिये उक्त पेंट का धौवन लिया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आरोपी पंकज चौधरी के लिये एक लॉवर की व्यवस्था कर श्री पंकज चौधरी के बदन पर पहनी हुई पेंट उतरवाकर जो रंग हरा हल्का भूरा रंग के लिये लॉवर दिया गया। पंकज चौधरी के बदन से पेंट उतरवाई गई।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसे कार्यालय कक्ष में रखी पानी की बोतल से साफ पानी कांच के गिलास में डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमें श्री पंकज चौधरी के बदन से उतरवाई गई पेंट की बांयी जेब को उलटवाकर उक्त गिलास के घोल में बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेंट की जेब को सुखवाकर पेंट को एक कपड़े की थैली में रखकर सील चिट मोहर कर मार्क-पी अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् श्री कौशल यादव सर्किल मैनेजर स्पैरो सॉफ्टक प्राईवेट लि. को श्री पंकज चौधरी के कार्य एवं उक्त कंपनी में संविदा के रूप में काम करने से सम्बन्धित दस्तावेजात की फोटोप्रति प्रमाणित उपलब्ध करवाने बाबत कहा गया तथा परिवादी श्री दीपक खंडेलवाल की बिल्डिंग के सम्बन्ध में यूडी टैक्स के



सम्बन्ध में कंपनी द्वारा की गई कार्यवाही के दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने के लिये निर्देशित किया जिन्हें पृथक से जरिये फर्द अभिलेख प्राप्त किये गये।


मौके पर उपस्थित श्री कौशल यादव पुत्र श्री सुभाष चन्द यादव उम्र 26 वर्ष नि. सी-14, छत्रसाल नगर, मालवीय नगर, जयपुर हाल सर्किल मैनेजर, स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लि. ने यूडी टैक्स वसूलने व श्री पंकज चौधरी के कार्य बाबत पूछा तो श्री कौशल यादव ने बताया कि “ मैं मालवीय नगर जोन में सर्किल मैनेजर के पद पर पदस्थापित हूं। मेरे अधिनस्थ पंकज चौधरी हमारी कंपनी में टैक्स कलेक्टर के रूप में कार्यरत है। नगर निगम द्वारा कंपनी का अनुबंध निष्पादित हुआ है जिसके अनुसार हम प्रोपर्टी का सर्वे करते हैं तथा सर्वे करने के पश्चात नगर निगम में ऑनलाईन सर्वे रिपोर्ट प्रेषित की जाती है तथा नगर निगम द्वारा उसकी नगरीय विकास कर की डिमांड सर्व की जाती है। उसके पश्चात संपत्ति धारक से टैक्स राशि एकत्र कर हमारे टैक्स कलेक्टर द्वारा नगर निगम के नाम से राशि जमा करवायी जाती है। श्री पंकज चौधरी को कंपनी द्वारा मालवीय नगर जोन में स्थित संपत्तियों के यूडी टैक्स का कलेक्शन कार्य (लोक कर्तव्य) दे रखा है। इसके अनुसार यह संपत्ति धारक से चैक ग्रहण करके नगर निगम के खाते में लगाता है। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी द्वारा श्री दीपक खंडेलवाल की एस-22, बरकत नगर, मैन मार्केट, देवकी सुपरमार्ट्स के नाम से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

मौके पर उपस्थित श्री प्रमोद कुमार शर्मा, राजस्व अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त जोन मालवीय नगर, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर ने बताया कि स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लि. तथा नगर निगम के मध्य हैड ऑफिस द्वारा दिनांक 03.03.2020 को नगरीय विकास कर एवं विज्ञापन साईड का अनुबंध निष्पादित किया गया था जिसके अनुसार स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लि. कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा किये गये कार्य (ऑनलाईन पोर्टल) का नगर निगम के राजस्व अधिकारी एवं उपायुक्त के निर्देशानुसार मॉनिटरिंग की जाती है। प्रधान कार्यालय द्वारा किये गये अनुबंध के अनुसार कंपनी को किये गये नगरीय विकास कर के संग्रहण में कमीशन के रूप में 9.95 प्रतिशत दिया जाता है। उक्त कार्य नगर निगम द्वारा स्पैरो कंपनी को दे रखा है जिसमें उनके द्वारा सर्वे करके टैक्स एकत्र करने का कार्य नगर निगम के लिये किया जाता है। उक्त कंपनी के कर्मचारियों को पहचान पत्र एवं अधिकार पत्र भी नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है। अधिकार पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि “ उक्त फर्म द्वारा निगम की ओर से कार्य किया जावेगा जो निगम का राजकीय कार्य ही माना जावेगा। उक्त कार्य में सहयोग नहीं करने एवं कार्य में बाधा पहुंचाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।” इससे स्पष्ट स्पष्ट है कि उक्त कंपनी द्वारा किया गया कार्य नगर निगम का राजकीय कार्य है।

इस प्रकार श्री पंकज चौधरी द्वारा नगर निगम के लिये राजकीय कार्य करते हुए 9,000/- की रिश्वत प्राप्त कर राज्य सरकार को जायज टैक्स जो लगभग 3-4 लाख रु बनता है उसका नुकसान किया है। अतः अब तक की कार्यवाही से श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री जयनारायण चौधरी उम्र 25 वर्ष जाति जाट नि. ग्राम लदाना खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल टैक्स कलेक्टर (टीसी) स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड कार्यालय उपायुक्त नगर निगम ग्रेटर, जोन मालवीय नगर, जयपुर (संविदाकर्मी) द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों तथा लोक कर्तव्य के निर्वहन का उल्लंघन कर अवैध रूप से परिवादी श्री दीपक खंडेलवाल की एस-22, बरकत नगर, मैन मार्केट, देवकी सुपरमार्ट्स, जयपुर में स्थित बिल्डिंग का बिना नोटिस दिये यूडी टैक्स की डिमांड नहीं निकालने की एवज में दिनांक 08.02.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10,000/-रु की मांग करना और 9,000/-रु रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना तथा मांग के अनुसरण में 9,000/-रु रिश्वत के रूप प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में बरामद होना तथा दोनों हाथों व पहनी हुई पेंट की बांयी जेब का धौवन गुलाबी होना प्रमाणित है। आरोपी श्री पंकज चौधरी का उक्त कार्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का पाया जाने पर श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री जयनारायण चौधरी उम्र 25 वर्ष जाति जाट नि. ग्राम लदाना खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल टैक्स कलेक्टर (टीसी) स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जोन मालवीय नगर, जयपुर (संविदाकर्मी) को जरिये फर्द गिरफ्तारी पृथक से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्ड्स को बारी-बारी चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की गई।

अतः श्री पंकज चौधरी द्वारा नगर निगम के लिये राजकीय कार्य करते हुए 9,000/- की रिश्वत प्राप्त कर राज्य सरकार को जायज टैक्स जो लगभग 3-4 लाख रु बनता है उसका नुकसान किया है। अतः अब तक की कार्यवाही से श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री जयनारायण चौधरी उम्र 25 वर्ष जाति जाट नि. ग्राम लदाना खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल टैक्स कलेक्टर (टीसी) स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड कार्यालय उपायुक्त नगर निगम ग्रेटर, जोन मालवीय नगर, जयपुर (संविदाकर्मी) द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों तथा लोक कर्तव्य के निर्वहन का उल्लंघन कर अवैध रूप से परिवादी श्री दीपक खंडेलवाल की एस-22, बरकत नगर, मैन मार्केट, देवकी सुपरमार्ट्स, जयपुर में स्थित बिल्डिंग का बिना नोटिस दिये यूडी टैक्स की डिमांड नहीं निकालने की एवज में दिनांक 08.02.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10,000/-रु की मांग करना


और 9,000/-रु रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना तथा मांग के अनुसरण में 9,000/-रु रिश्वत के रूप प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में बरामद होना तथा दोनों हाथों व पहनी हुई पेंट की बांयी जेब का धौवन गुलाबी होना प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री पंकज चौधरी हाल टैक्स कलेक्टर (टीसी) स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड कार्यालय उपायुक्त नगर निगम ग्रेटर, जोन मालवीय नगर, जयपुर (संविदाकर्मी) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

  
(नीरज भारद्वाज)  
पुलिस निरीक्षक,  
भ्रष्टाचार निराधक ब्यूरो,  
जयपुर ग्रामीण, जयपुर।



## कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री जयनारायण चौधरी निवासी ग्राम लदाना खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल टैक्स कलक्टर (टीसी) स्पैरो साफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जोन मालवीय नगर, जयपुर (संविदाकर्मी) के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 40/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

 9.2.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 382-86 दिनांक 9.2.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर, क्रं.स.-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

 9.2.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर